न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 43/2021

दयानन्द शर्मा निवासी 5क–28, शिवाजी पार्क–अलवर पिन 301001 राज0

––अपीलार्थी

वनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (स्थापना शाखा) कलेक्ट्रट टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 11–2–2022**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सहायक लोक सूचना अधिमकारी एंव प्रभारी अधिकारी (स्थापना शाखा) कलेक्ट्रट टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 13–10–2021 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :–

1 श्रीमान् जिला कलेक्टर/अति0 जिला कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर कार्यालयों में शीध्रलिपिक /निजी सहायक/ अति0 निजी सचिव के कितने पद स्वीकृत है।

2 सन् 2000 से सूचना जारी करने की दिनांक तक उक्त कार्यालयों में स्वीकृत पदों पर पद के अनुरूप पदस्थापित कार्मिकों की सूची।

3 सन् 2000 से सूचना जारी करने की दिनांक तक उक्त कार्यालयों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध अन्य संवर्ग के कार्मिकों के पदस्थापन की सूची।

4 सूचना जारी करने की दिनांक को उक्त कार्यालयों में शीध्रलिपिक /निजी सहायक/ अति0 निजी सचिव के किस कार्यालय में कितने पद रिक्त है, की सूची।

5 उक्त कार्यालयों मे पदस्थापित शीध्रलिपिक /निजी सहायक/ अति0 निजी सचिव की जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची की प्रति।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (स्थापना शाखा) कलेक्ट्रट टोंक को पत्र किमांक 1495 दिनांक 17–12–2021 को प्रेषित [illegible] तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया [illegible] नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (स्थापना शाखा) कलेक्ट्रट टोंक द्वारा पत्र कमांक आरटीआई/2021/59–60 दिनांक [illegible] 2022 [illegible] प्रेषित किया है कि अप[illegible] द्वारा चाही [illegible] सुचना अपीलार्थी को [illegible] कार्यालय के पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:04:19 IST
Reason: SelfAttested

आरटीआई/2021/56 दिनांक 7–01–2022 30–9–2021 से जरिये डाक से भिजवायी गई है। जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (स्थापना शाखा) कलेक्ट्रट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:04:19 IST
Reason: SelfAttested